सं. 7(23)/संस्था-III(क)/2007

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस तथा तदर्थ बोनस प्रदान करना- परिकलन सीमा में संशोधन।

01.04.2006 से लागू परिकलन सीमा को बढ़ाने संबंधी बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 2(13) तथा धारा 12 में हाल ही में हुए संशोधन के परिणामस्वरूप, इसी प्रकार का लाभ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस तथा तदर्थ बोनस के भुगतान की परिकलन सीमा 01.04.2006 से अर्थात् वर्ष 2006-07 से निम्न प्रकार होगी:-

	परिकलन सीमा	
	मौजूदा	संशोधित
	(प्रतिमाह परिलब्धियां)	
रेलवे में पी.एल.बी.	2500 रुपए	3500 रुपए
अन्य विभागों/संगठनों में पी.एल.बी.	2500 रुपए	3500 रुपए
किसी भी पी.एल.बी. के तहत् कवर नहीं किए गए कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस	2500 रुपए	3500 रुपए

2. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

मधुलिका प्रसाद

(मधुलिका पी. सुकुल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार प्रेषित।